

# इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत

संकलन

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

इस्लामी आमन्त्रण एवं निर्देश  
कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

islamhouse.com

1430-2009

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।  
 إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره،  
 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من  
 يهده الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله  
 وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده و  
 رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد :

### इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत

अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज्जतुल-वदाउ के अवसर पर मिना के स्थान पर फरमाया : “क्या तुम जानते हो कि यह कौन सा दिन है? लोगों ने उत्तर दिया : अल्लाह और उसके रसूल अधिक जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

उत्तर दिया : यह एक हराम (मोहतरम और हुर्मत वाला) दिन है। (फिर आप ने कहा :) क्या तुम्हें मालूम है कि यह कौन से नगर है? लोगों ने कहा : अल्लाह और उसके पैग़म्बर को अधिक जानकारी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया : यह एक मोहतरम नगर है। फिर आप ने पूछा : यह कौन सा महीना हैं? लोगों ने कहा : अल्लाह और उसके रसूल को अधिक जानकारी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : हराम (हुर्मत वाला) महीना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया :(सुनो !)  
 अल्लाह तआला ने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे खून, तुम्हारे धन और तुम्हारी इज़्ज़त व आबरू को इसी प्रकार हराम ठहराया है जिस प्रकार कि तुम्हारे इस नगर में तुम्हारे इस महीने में तुम्हारे इस दिन की हुर्मत है।” (सहीह बुखारी ५/२२४७ हदीस नं.:५६६६)

चुनाँचि इस्लाम के मूल सिद्धांतों में से जान, इज़्ज़त व आबरू, धन, बुद्धि, नस्ल (वंश), कमज़ोर और बेबस की रक्षा करना है :-

❁ मानव प्राण पर ज़ियादती करने की निषिधता के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया : “जिस प्राणी को अल्लाह तआला ने हराम घोषित किया है, उसे बिना अधिकार के क़त्ल न करो।” (सूरतुल इस्मा :३३)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया : “तुम अपनी जानों को न मारो, निःसन्देह अल्लाह तुम पर दयालु है।” (सूरतुन्निसा :२६)

❁ इज़्ज़त व आबरू पर ज़ियादती करने की हुर्मत के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया : “और ज़िना (बदकारी) के निकट भी न जाओ, निःसन्देह यह बहुत ही घृणित काम और बुरा रास्ता है।” (सूरतुल इस्मा :३२)

- ❁ तथा धन पर हमला करने की अवैधता के बारे में फरमाया : “तुम आपस में एक दूसरे के माल (धन) को अवैध तरीके से न खाओ।” (सूरतुल बकर: 9८८)
- ❁ बुद्धि पर ज़ियादती करने की हुरमत के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया : “ऐ ईमान वालो! निःसन्देह शराब, जुवा, धान और पाँसे के तीर गन्दे और शैतानी काम हैं, अतः तुम इनसे बचो ताकि तुम्हे सफलता मिले।” (सूरतुल माईदा :६०-६१)
- ❁ तथा अल्लाह तआला ने नस्ल पर ज़ियादती करने की हुरमत के बारे में फरमाया : “जब वह पीठ फेर कर जाता है तो इस बात की कोशिश करता है कि धरती पर उपद्रव करे और खेतियाँ और नस्ल को तबाह करे, और अल्लाह तआला उपद्रव को पसन्द नहीं करता।” (सूरतुल बकरा :२०५)

❁ मनुष्यों में से कमज़ोर लोगों के बारे में अल्लाह तआला फरमाता है :-

१. **माता-पिता** के बारे में अल्लाह तआला का फरमान है : “और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि तुम मात्र उसी की इबादत करना, और माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना, अगर तुम्हारे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उन से उफ (अरे) तक न कह, और न उन्हें झिड़क, और उन से नरम ढंग से बात कर, और उन दोनों के लिए इंकिसारी का बाजू मेहरबानी से झुकाये रख, और कह कि ऐ रब दया कर उन दोनों पर जिस तरह उन दोनों ने मेरे बचपन में मुझे पाला है।” (सूरतुल इस्त्रा :२३)

२. **यतीम (अनाथ)** के बारे में फरमाया : “ और यतीम को न झिड़क।” (सूरतुज्जुहा :६)

तथा उसके माल की सुरक्षा की ज़मानत के बारे में फरमाया : “और यतीम के माल के करीब भी न जाओं मगर उस ढंग से जो बहुत अच्छा (उचित) हो।” (सूरतुल इम्रा : ३४)

३. बाल बच्चों के बारे में फरमाया : “और तुम अपने बच्चों को फाका (भुखमरी) के डर से न मारो, हम तुम्हें और उन्हें भी रोज़ी देते हैं।”
४. बीमारों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “कैदी (बन्दी) को छोड़ाओ, भूखे को खिलाओ और बीमार की तीमारदारी करो।” (सहीह बुख़ारी ३/११०६ हदीस नं २८८१)
५. कमज़ोर लोगों के बारे में फरमाया : “जो बड़ों का सम्मान और छोटों पर दया न करे, भलाई का आदेश और बुराई से न रोके तो वह हम में से

नहीं है।” (सहीह इब्ने हिब्बान २/२०३ हदीस नं.४५८)

६. ज़रूरतमंदों के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया : “और मांगने वाले को न डांट डपट कर।” (सूरतुज्जुहा :१०)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “जो आदमी अपने भाई की आवश्यकता में लगा रहता है, अल्लाह तआला उसकी आवश्यकता में होता है।” (सहीह मुस्लिम ४/१६६६ हदीस नं.:२५८०)

## इस्लाम में आत्मिक पहलू :

इस्लाम धर्म अपने से पूर्व अन्य धर्मों के समान ऐसे सिद्धांत और अकाईद को ले कर आया है जिन पर ईमान रखना और उन पर आस्था रखना, उनके प्रसार और प्रकाशन के लिए कार्य करना, तथा बिना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती के उसकी तरफ लोगों को



बुलाना उसके मानने वालों पर अनिवार्य कर दिया है, अल्लाह तआला के इस फरमान पर अमल करते हुए: “धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हिदायत, गुमराही से स्पष्ट हो चुकी है, अतः जो तागूत का इन्कार करे और अल्लाह पर ईमान लाये, तो उसने ऐसा मज़बूत कड़ा थाम लिया जो टूटने वाला नहीं है, और अल्लाह तआला सुनने वाला और जानने वाला है। (सूरतुल बकरा :२५६)

तथा इस्लाम ने अपने मानने वालों को इस बात का आदेश दिया है कि इस दीन की ओर दावत ऐसे ढंग से दिया जाए जो सब से श्रेष्ठ हो, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है : “अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के द्वारा बुलाओ और उन से सर्वश्रेष्ठ ढंग से बहस करो।” (सूरतुन-नह्ल :१२५)

अतः सन्तुष्टि इस्लाम धर्म में एक मूल बात है क्योंकि जो चीज़ ज़ोर-ज़बरदस्ती पर आधारित होती है वह आदमी को अपनी जुबान से ऐसी चीज़ के कहने पर बाध्य कर देती है जो उसके दिल की बात के विपरीत होती है, और यह वह निफाक़ (पाखण्डता) है जिस से इस्लाम ने सावधान किया है और उसे कुफ़्र से भी बड़ा पाप ठहराया है, अल्लाह ताअला का फरमान है:

“मुनाफ़िक़ लोग जहन्नम के सब से निचले तबक़े (पाताल) में हों गे।” (सूरतुन्निसा : १४५)

चुनाँचि इबादात (उपासना) के मैदान में :-

इस्लाम ने कथन, कृत्य और आस्था से संबंधित इबादतों के एक समूह को प्रस्तुत किया है, आस्था (ऐतिक़ाद) से संबंधित इबादतों को इस्लाम में ईमान के अर्कान (स्तंभ) के नाम से जाना जाता है, जो निम्नलिखित हैं :

## ❁ अल्लाह पर विश्वास रखाना:

और यह तीन चीजों में अल्लाह तआला को एकत्व समझने (एकेश्वरवाद) का तकाज़ा करता है :

- ❁ अल्लाह तआला को उसकी रूबूबियत में अकेला मानना, यानी उसके वजूद (अस्तित्व) का इकरार करना, और यह कि वही अकेला इस संसार और इसमें मौजूद चीजों का उत्पत्ति कर्ता और रचयिता, उनका मालिक (स्वामी) और उसमें तसरुफ करने वाला है, अतः इस ब्रह्मांड में वही स्वाधीन कर्ता-धर्ता है, चुनाँचि वही चीज़ होती है जो वह चाहता है और वही चीज़ घटती है जिसकी वह इच्छा करता है, अल्लाह तआला का फरमान है : “सुनो, उसी के लिए विशिष्टि है पैदा करना और आदेश करना, सर्वसंसार का पालनहार अल्लाह बहुत बरकत वाला है।” (सूरतुल आराफ़ :५४)

अल्लाह तआला ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वही एक मात्र खालिफ़ (उत्पत्ति कर्ता) है और उसके साथ किसी अन्य साझी का होना असम्भव है, अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया :

“अल्लाह तआला ने किसी को संतान नहीं बनाया (यानी अल्लाह की कोई सन्तान नहीं ) और न ही उसके साथ कोई दूसरा पूज्य है, नहीं तो हर पूज्य अपनी पैदा की हुई चीज़ को लिए फिरता, और एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता, अल्लाह तआला पवित्र है उन चीज़ों से जिसे लोग उसके बारे में बयान करते हैं।”  
(सूरतुल मूमिनून :६१)

- ❁ अल्लाह तआला को उसकी उलूहीयत में अकेला मानना, यानी इस बात पर दृढ़ विश्वास रखना कि अल्लाह तआला ही सच्चा माबूद है, उसके सिवाय कोई भी पूज्य नहीं और न उसके अलावा कोई माबूद ही है जो इबादत का अधिकार रखता हो, चुनाँचि

केवल उसी पर भरोसा रखा जाए, केवल उसी से प्रश्न किया जाए, संकट मोचन के लिए या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसी को पुकारा जाए, उसी के लिए मन्नत मानी जाए और किसी भी तरह की कुछ भी इबादत उसी के लिए की जाए, किसी दूसरे की नहीं। अल्लाह तआला का फरमान है :“हम ने आप से पहले जो भी पैग़म्बर भेजे हैं उनकी तरफ यही वस्तु भेजी है कि मेरे (अल्लाह के) अलावा कोई (सच्चा) पूज्य नहीं, तो तुम मेरी ही इबादत करो।” (सूरतुल अम्बिया :२५)

- ❁ अल्ला तआला को उसके अस्मा व सिफात (नामों और गुणों) में एकत्व मानना, यानी इस बात पर दृढ़ विश्वास रखना कि अल्लाह तआला के सर्वश्रेष्ठ नाम हैं और सर्वोच्च गुण हैं, तथा वह प्रत्येक बुराई और कमी से पाक व पवित्र है, अल्लाह तआला का फरमान है : “अल्लाह ही के लिए अच्छे-अच्छे नाम

हैं, अतः तुम उसे उन्हीं के द्वारा पुकारो, और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में इल्हाद से काम लेते हैं, उन्हें उनके कर्तृत का बदला मिलकर ही रहे गा।” (सरतुल आराफ : 9८०)

चुनाँचि हम उसके लिए उस चीज़ को साबित करते हैं जो उसने अपनी किताब में अपने लिए साबित किया है या उसके पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके लिए साबित किया है, जिस में उसकी मख़्लूक़ में से कोई भी उसके समान नहीं है, इन्हें इस तौर पर साबित माना जाए कि उनकी कोई कैफ़ियत (दशा) न निर्धारित की जाए, या उन्हे अर्थहीन न किया जाए, या उन्हें किसी मख़्लूक़ के समान (मुशाबिह) न ठहराया जाए और उनकी कोई उपमा या उदाहरण न बयान की जाए, अल्लाह तआला का फरमान है : “अल्लाह के समान कोई

चीज़ नहीं और वह सुनने वाला और देखने वाला है।” (सूरतुशशूरा :99)

## ❁ फरिश्तों पर ईमान लाना :

❁ यानी इस बात पर ईमान रखना कि अल्लाह तआला के बहुत सारे फरिश्ते हैं जिनकी संख्या को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, अल्लाह तआला के फैसला (क़ज़ा) के अनुसार इस संसार और इसमें जो भी सृष्टियाँ हैं उनकी रक्षा, निरीक्षण और व्यवस्था करने में अल्लाह की इच्छा को लागू करते हैं, चुनाँचि वह आसमानों और धरती पर नियुक्त हैं, और संसार में कोई भी हर्कत उनके विशेष छेत्र में दाखिल है जिस प्रकार कि उनके पैदा करने वाले अल्लाह तआला ने चाहा है, जैसाकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है : “फिर कामों की व्यवस्था करने वालों की क़सम।” (सूरतुन्नाज़ेआत :५)

तथा फरमाया : “फिर काम का बटवारा करने वाले फरिश्तों की क़सम।” (सूरतुज्ज़ारियात : ४)

यह लोग नूर से पैदा किये गये हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “ फरिश्ते नूर से पैदा किये गये हैं, जिन्नात दकहती हुई आग (शोले) से पैदा किये गए हैं और आदम उस चीज़ से पैदा किये गये हैं जिसका उल्लेख तुम से किया गया है।”

(सहीह मुस्लिम ४/२२६४ हदीस नं.:२६६६)

फरिश्ते अन्देखी (अदृश्य, अंतर्धान) मख्लूक (प्राणी वर्ग) हैं, चूँकि वे नूर (प्रकाश) से पैदा किये गये हैं, इसलिए आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, किन्तु अल्लाह तआला ने उन्हें विभिन्न रूपों को धारण करने की शक्ति प्रदान की है ताकि वह देखे जा सकें, जैसाकि हमारे पालनहार अल्लाह तआला ने हमें जिब्रील के बारे में सूचना दी है कि वह मर्यम के पास एक मानव के रूप में आये थे, अल्लाह तआला



का फरमान है : “फिर उसने उन लोगों से परदा कर लिया तो हमने अपनी रूह (जिबरील) को उन के पास भेजा तो वह अच्छे खासे आदमी की सूरत बनकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। (वह उसको देखकर घबराई और ) कहने लगी अगर तू परहेज़गार है तो मैं तुझ से रहमान की पनाह माँगती हूँ , (मेरे पास से हट जा ) जिबरील ने कहा मैं तो केवल तुम्हारे परवरदिगार का पैग़म्बर (फ़रिश्ता) हूँ ताकि तुमको पाक व पाकीज़ा लड़का अता करूँ ।” (सूरत मर्यम : 97-98)

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिबरील को उन की उस आकृति (शक्ल) पर देखा है जिस पर उनकी पैदाईश हुई है, उस समय उनके छः सो पर थे जो अपनी महानता से छितिज (उफुक) पर छाए हुए थे। (सहीह बुखारी 8/9280 हदीस नं. : 8575)

इन फरिश्तों के पर भी होते हैं, किसी के दो पर होते हैं और किसी के तीन और किसी के इस से भी अधिक होते हैं, अल्लाह तआला का फरमान है :  
 “हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला फरिश्तों को (अपना) क़ासिद बनाने वाला है जिनके दो-दो और तीन-तीन और चार-चार पर होते हैं (मख़लूक़ात की) पैदाइश में जो (मुनासिब) चाहता है बढ़ा देता है।” (सूरत फातिर :9)

उनके शेष हालतों के ज्ञान को अल्लाह तआला ने अपने तक ही सीमित रखा है।

उनके समय अल्लाह तआला के ज़िक्र, उसकी तस्बीह और तारीफ में गुज़रते हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : “ वह रात-दिन उसकी पवित्रता बयान करते हैं और तनिक सा भी आलस्य नहीं करते। (सूरतुल अम्बिया :२०)

अल्लाह तआला ने उन्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जैसाकि उसने इसकी सूचना देते हुए फरमाया : “मसीह हरगिज अल्लाह का बन्दा होने से इन्कार नहीं कर सकते हैं और न ही मुक़र्रब फ़रिश्ते।” (सूरतुन्निसा : 992)

वे अल्लाह के बीच और मनुष्यों में से उसके पैग़म्बरों के बीच एलची होते हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : “इसे रुहुल अमीन (जिबरील) साफ़ अरबी जुबान में लेकर तुम्हारे दिल पर नाज़िल हुए हैं ताकि आप भी और पैग़म्बरों की तरह लोगों को (अज़ाबे इलाही से) डरायें।” (सूरतुश्शु-अरा : 969)

तथा उन कामों को करते हैं जिनके करने का अल्लाह ताआला ने उन्हें आदेश दिया है, अल्लाह तआला ने फरमाया : “वे अपने परवरदिगार से जो उनसे बरतर व आला है डरते हैं और जो हुक्म दिया जाता है फौरन बजा लाते हैं।” (सूरतुन्नहल : 50)

ये फरिश्ते अल्लाह तआला की संतान नहीं हैं, इनका सम्मान करना और इन से महब्बत करना वाजिब है, अल्लाह तआला ने फरमाया: “और (अहले मक्का) कहते हैं कि अल्लाह ने (फरिश्तों को) अपनी औलाद (यानी बेटियाँ) बना रखा है, (हालाँकि) वह उससे पाक व पकीज़ा हैं बल्कि (वे फ़रिश्ते) (अल्लाह के) सम्मानित बन्दे हैं, ये लोग उसके सामने बढ़कर बोल नहीं सकते और ये लोग उसी के हुक्म पर चलते हैं।” (सूरतुल अंबिया : २६-२७)

और न ही यह अल्लाह के साझी और शरीक हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : “और वह तुम्हें इस बात का हुक्म नहीं देता है कि तुम फरिश्तों और पैग़म्बरों को अपना रब बना लो, क्या वह तुम्हारे मुसलमान होने के बाद, तुम्हें कुफ़्र का हुक्म देगा।” (सूरत आले इम्रान : ८०)

इन फरिश्तों में से कुछ के नामों और कामों के बारे में अल्लाह तआला ने हमें सूचना दी है, उदाहरण के तौर पर :

► जिबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह की वह्य (ईश्वाणी) को पहुँचाने पर नियुक्त हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : “इसे रुहुल अमीन (जिबरील) लेकर आप के दिल पर नाज़िल हुए हैं ताकि आप लोगों को (अज़ाबे इलाही से) डराने वालों में से हो जायें।” (सूरतुशु-अरा : 9६५)

► **मीकाईल** अलैहिस्सलाम वर्षा बरसाने और खेती उगाने पर नियुक्त (आदिष्ट) हैं, अल्लाह तआला का फरमान है: “जो आदमी अल्लाह तआला, उसके फरिश्तों, उसके पैग़म्बरों, जिबरील और मीकाल का दुश्मन है, तो अल्लाह तआला काफ़िरों का दुश्मन है।” (सूरतुल बकरा : ६८)

- **मलकुल मौत** ( मृत्यु के समय लोगों के प्राणों के निष्कासन पर नियुक्त हैं ) अल्लाह तआला ने फरमाया : “आप कह दीजिए मलकुल मौत तुम्हें मृत्यु दे देंगे जो तुम्हारे ऊपर नियुक्त हैं, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाये जाओ गे।” (सूरतुस्सज्दा :99)
- **इस्राफील** अलैहिस्सलाम कियामत के समय और मख़्लूक के हिसाब व किताब के लिए पुनर्जीवन के समय सूर फूंकने पर नियुक्त हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : “फिर जिस वक्त सूर फूँका जाएगा तो उस दिन न लोगों में कराबत-दारियाँ रहेंगी और न वे एक दूसरे की बात पूछेंगे।” (सूरतुल-मूमिनून :909)
- **मालिक** अलैहिस्सलाम नरक के निरीक्षण पर नियुक्त हैं और वही नरक के रक्षक (कोतवाल) हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : “और वे

पुकार-पुकार कर कहें गें कि हे मालिक! तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे, वह कहे गा कि तुम्हें तो हमेशा ही रहना है।” (सूरतुज़ जुखरूफ : ७७)

- **ज़बानिया**, इससे मुराद वह फरिश्ते हैं जो जहन्नम वालों को यातना देने पर नियुक्त हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : “वह अपने सभा वालों को बुला ले। हम भी नरक के रक्षकों (निगराँ) को बुला लेंगे।” (सूरतुल अलक़ : १७-१८)
- इसी तरह हर मनुष्य के साथ दो फरिश्ते लगे हुए हैं, उन में से एक नेकियाँ लिखने पर और दूसरा बुराईयाँ लिखने पर नियुक्त है, अल्लाह तआला का फरमान है : “जिस समय दो लेने वाले जो लेते हैं, एक दायीं तरफ और दूसरा बायीं तरफ बैठा हुआ है। (इंसान) मुँह से कोई शब्द निकाल नहीं पाता लेकिन उसके क़रीब रक्षक (पहरेदार ) तैयार हैं।” (सूरत काफ : १७-१८)

➤ जन्नत के दारोगा रिज़वान, तथा वह फरिश्ते जो मनुष्य का संरक्षण करने पर नियुक्त हैं, जिनका कुरआन व हदीस में उल्लेख हुआ है। तथा कुछ फरिश्तों के बारे में हमें कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन उन सब पर ईमान लाना अनिवार्य है।

### फरिश्तों पर ईमान लाने के फायदे:

फरिश्तों पर ईमान लाने के बहुत व्यापक लाभ हैं, जिन में से कुछ यह हैं :

१. अल्लाह तआला की महानता (अज़मत), शक्ति और सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि सृष्टि की महानता से सृष्टा की महानता प्रतीक होती है।

२. जब मुसलमान के दिल में फरिश्तों के वजूद का एहसास पैदा हो जाता है जो उसके कर्मों और कथनों पर दृष्टि रखते हैं, और यह कि उसका हर काम उसके हक़ में या उसके विरुद्ध शुमार किया जा रहा



है तो उसके अन्दर नेकियाँ करने और खुले और छुपे हर हाल में बुराईयों से बचने की लालसा पैदा होती है।

३. उन खुराफात और भ्रमों में पड़ने से दूर रहना जिस में ग़ैब पर विश्वास न रखने वाले लोग पड़ चुके हैं।

४. मनुष्यों पर अल्लाह तआला की कृपा और नेमत कि उस ने मनुष्य की सुरक्षा करने और उनके कर्मों का लेख तैयार करने तथा उनके अन्य हितों और भलाईयों के लिए फरिश्ते नियुक्त किए हैं।

### **किताबों (धर्म-ग्रन्थों) पर ईमान लाना:**

यानी इस बात पर विश्वास रखना कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी तरफ से अपने पैग़म्बरों पर कुछ आसमानी किताबें उतारी हैं ताकि वे उसे लोगों तक पहुँचायें, ये किताबें हक़ और अल्लाह तआला की तौहीद यानी उसे उसकी रूबूबियत, उलूहियत औ नामों और गुणों में एकत्व मानने पर

आधारित हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : “बेशक हम ने अपने सन्देशों को खुली निशानियाँ देकर भेजा और उनके साथ किताब और न्याय (तराजू) उतारा ताकि लोग इंसाफ पर बाकी रहें।” (सूरतुल हदीद :२५)

मुसलमान के लिए आवश्यक है कि वह कुरआन से पहले उतरी हुई सभी आसमानी किताबों पर ईमान लाए और यह कि वह सब अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन कुरआन उतरने के बाद उन पर अमल करने का उस से मुतालबा नहीं किया गया है, क्योंकि वो किताबें एक सीमित समय के लिए और विशिष्ट लोगों के लिए उतरी थीं, उन किताबों में से जिनके नामों का अल्लाह तआला ने अपनी किताब (कुरआन) में उल्लेख किया है, निम्नलिखित हैं :

❁ इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे : इन सहीफों में उल्लिखित कुछ धार्मिक सिद्धांतों को कुरआन

में बयान किया गया है, अल्लाह तआला ने फरमाया :  
 “क्या उसे उस बात की खबर नहीं दी गई जो मूसा  
 (अल्लैहिस्सलाम) के सहीफे (ग्रन्थ) में थी। और वफादार  
 इब्राहीम के ग्रन्थ में थी? कि कोई मनुष्य किसी दूसरे  
 का बोझ नहीं उठाये गा। और यह कि हर मनुष्य के  
 लिए केवल वही है जिसकी कोशिश स्वयं उसने की।  
 और यह कि बेशक उसकी कोशिश जल्द देखी जायेगी।  
 फिर उसे पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा। (सूरतुन नज्म :  
 ३६-४२)

❁ **तौरात** : यही वह पवित्र ग्रन्थ है जो मूसा  
 अल्लैहिस्सलाम पर अवतरित हुआ, अल्लाह ताआला का  
 फरमान है : “हम ने तौरात नाज़िल किया है जिस  
 में मार्गदर्शन और प्रकाश है, यहूदियों में इसी  
 तौरात के द्वारा अल्लाह के मानने वाले अंबिया,  
 अल्लाह वाले और ज्ञानी निर्णय करते थे, क्योंकि  
 उन्हें अल्लाह की इस किताब की सुरक्षा का हुक्म

दिया गया था, और वे इस पर कुबूल करने वाले गवाह थे, अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से न डरो, बल्कि मुझ से डरो, मेरी आयतों को थोड़े-थोड़े दाम पर न बेचो, और जो अल्लाह की उतारी हुई वह्य की बिना पर फैसला न करें वे पूरा और मुकम्मल काफिर हैं।” (सूरतुल माईदा: ४४)

कुरआन करीम में तौरात में आई हुई कुछ चीज़ों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं में से रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विशेषतायें जिन्हें वे लोग छुपाने का प्रयास करते हैं जो उन में से हक़ को नहीं चाहते हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : “मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं काफिरों पर कठोर हैं, आपस में रहम दिल हैं, तू उन्हें देखे गा कि खकूअ और सज्दे कर रहे हैं, अल्लाह तआला की कृपा (फज़ल) और खुशी की कामना में हैं, उनका

निशान उनके मुँह पर सज्दों के असर से है, उनका यही गुण (उदाहरण) तौरात में है।”  
(सूरतुल फ़तह :२६)

इसी तरह कुरआन करीम ने तौरात में वर्णित कुछ धार्मिक अहकाम का भी उल्लेख किया है, अल्लाह तआला का फरमान है :

“और हम ने तौरात में यहूदियों पर यह हुक्म फर्ज़ कर दिया था कि जान के बदले जान और आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दाँत के बदले दाँत और जख़्म के बदले (वैसा ही) बराबर का बदला (जख़्म) है फिर जो (मज़लूम ज़ालिम की) ख़ता माफ़ कर दे तो ये उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा और जो शख़्स खुदा की नाज़िल की हुयी (किताब) के मुवाफ़िक़ हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग ज़ालिम हैं।” (सूरतुल माईदा :४५)

❁ **ज़बूर** : वह किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी, अल्लाह तआला का फरमान है : “और हम ने दाऊद को ज़बूर अता किया।” (सूरतुन्निसा : 9६३)

❁ **इन्जील** : वह पवित्र ग्रन्थ है जिसे अल्लाह तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पर अवतरित किया, अल्लाह तआला का फरमान है: “और हम ने उन्हीं पैग़म्बरों के पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा जो इस किताब तौरात की भी तस्दीक करते थे जो उनके सामने (पहले से) मौजूद थी और हमने उनको इन्जील (भी) अता की जिसमें (लोगों के लिए हर तरह की) हिदायत थी और नूर (ईमान) और वह इस किताब तौरात की जो वक्ते नुजूले इन्जील (पहले से) मौजूद थी तसदीक करने वाली और परहेज़गारों की हिदायत व नसीहत थी।” (सूरतुल माईदा : ४६)

कुरआन करीम ने तौरात व इंजील में वर्णित कुछ बातों का उल्लेख किया है, उन्हीं में से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगमन की शुभ सूचना है, चुनाँचि अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया :

“मेरी रहमत -दया- प्रत्येक चीज़ को सम्मिलित है। तो वह रहमत उन लोगों के लिए अवश्य लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात -अनिवार्य धार्मिक दान- देते हैं और जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। जो लोग ऐसे उम्मी (जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते थे ) नबी (पैग़म्बर ) की पैरवी (अनुसरण ) करते हैं जिन को वह लोग अपने पास तौरात व इन्जील में लिखा हुआ पाते हैं। वह उनको अच्छी (नेक) बातों का आदेश देते हैं और बुरी बातों से मनाही करते हैं और पवित्र चीज़ों को हलाल (वैध) बताते हैं और अपवित्र चीज़ों को उन पर हराम (अवैध, वर्जित) बताते हैं, और उन लोगों पर जो

बोझ और तौक थे उनको दूर करते हैं। ” (सूरतुल आराफ: 9५६-9५७)

इसी तरह अल्लाह के धर्म को सर्वोच्च करने के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने पर उभारा गया है, चुनाँचि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना केवल इस्लाम में ही नहीं है बल्कि इस से पूर्व की आसमानी शरीअतों में भी आया है, अल्लाह तआला का फरमान है :

“बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जानों और मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया है, वह अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिसमें क़त्ल करते हैं और क़त्ल होते हैं, उस पर सच्चा वादा है तौरात, इंजील और कुरआन में। और अल्लाह से अधिक अपने वादे का पालन कौन कर सकता है? इसलिए तुम अपने इस बेचने पर जो कर लिए हो खुश हो जाओ, और यह बड़ी कामयाबी है।” (सूरतुतौबा : 999)



❁ **कुरआन करीम** : इस बात पर विश्वास रखना अनिवार्य है कि वह अल्लाह का कलाम है जिसे के साथ जिबरील अलैहिस्सलाम स्पष्ट (शुद्ध) अरबी भाषा में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरे हैं, अल्लाह ताल का फरमान है : “इसे अमानतदार फरिश्ता (यानी जिबरील अलैहिस्सलाम) लेकर आया है। आप के दिल पर (नाज़िल हुआ है ) कि आप सावधान (आगाह) कर देने वालों में से हो जायें। साफ अरबी भाषा में।” (सूरतुशशुअरा : 9६३-१६५)

### कुरआन करीम अपने से पूर्व आसमानी किताबों से निम्नलिखित बातों में विभिन्न है :

1. कुरआन अन्तिम आसमानी किताब है जो अपने पूर्व की आसमानी किताबों में जो बातें आयी हुई हैं जिनमें परिवर्तन और हेर-फेर नहीं हुआ है, जैसे अल्लाह की तौहीद और उस का आज्ञा पालन और उपासना, उन बातों की पुष्टि करने वाली है, अल्लाह

ताआला का फरमान है : “ और हम ने आप की ओर हक़ (सत्य) के साथ यह पुस्तक उतारी है जो अपने से पूर्व पुस्तकों की पुष्टि करने वाली है और उन पर निरीक्षक और संरक्षक है। (सूरतुल माईदा:४८)

2. अल्लाह ताआला इसके द्वारा इस से पहले की सभी किताबों को निरस्त कर दिया, क्योंकि यह सभी अन्तिम ईश्वरीया शिक्षाओं को सम्मिलित है जो सदैव रहने वाले और हर स्थान और समय के लिए उपयुक्त हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : “आज मैं ने तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें सम्पूर्ण कर दीं और तुम्हारे लिए इस्लाम के धर्म होने पर सहमत होगया। (सूरतुल-माईदा:३)
3. इसे अल्लाह तआला ने सर्व मानव के लिए उतारा है, पिछली आसमानी पुस्तकों के समान किसी एक

समुदाय के लिए विशिष्ट नहीं है, अल्लाह तआला का फरमान है : “अलिफ, लाम, रा, यह किताब हम ने आप की तरफ उतारी है कि आप लोगों को अँधेरे से उजाले की तरफ लायें उनके रब के हुक्म से। (सूरत हब्राहीम :9)

अलबत्ता इसके अतिरिक्त जो किताबें थीं तो वो अगरचे मूल धर्म में इसके समान थीं किन्तु वो कुछ विशिष्ट समुदायों के लिए थीं, इसीलिए उन किताबों में जो अहकाम और धर्म शास्त्र थे वह उन्हीं लोगों के साथ उनके समय के लिए विशिष्ट थे, उनके अलावा किसी और के लिए नहीं थे, चुनाँचि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं : “मैं केवल बनी इस्राईल की भटकी हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ।” (इंजील मत्ता १५:२४)

4. इसकी तिलावत करना और याद करना इबादत है, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

फरमाया : “जिस ने अल्लाह की किताब का एक हर्फ (अक्षर) पढ़ा उस के लिए एक नेकी है, और एक नेकी दस गुन्ना नेकियों के बराबर है, मैं नहीं कहता कि अलिफ-लाम्म-मीम एक अक्षर है बल्कि अलिफ एक अक्षर है और लाम दूसरा अक्षर और मीम तीसरा अक्षर है।” (तिर्मिज़ी ५/१७५ हदीस नं. २६१०)

5. यह उन सभी नियमों और संविधानों को सम्मिलित है जो एक अच्छे समाज की स्थापना करते हैं, रेस्लर (J. S. Restler) अपनी किताब अरब सभ्यता में कहता है : कुरआन सभी समस्याओं का समाधान पेश करता है, धार्मिक नियम और व्यवहारिक नियम के बीच संबंध स्थापित करता है, व्यवस्था और सामाजिक इकाई बनाने का प्रयास करता है, तथा दुर्दशा, कठोरता और खुराफात को कम करने का भी प्रयत्न करता है, कमज़ोरों का

हाथ थामता और उनका सहयोग करता है, नेकी करने का सुझाव देता और दया करने का हुक्म देता है.. क़ानून साज़ी (संविधान रचना) के विषय में दैनिक सहयोग, वरासत और अहद व पैमान के उपायों के सूक्ष्मतम व्यौरा के लिए नियम निर्धारित किये हैं, और परिवार (कुटुम्ब) के छेत्र में बच्चों, गुलामों, जानवारों, स्वास्थ्य, पोशाक ...इत्यादि से संबंधित हर व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित किये हैं ...।” (क़ालू अनिल इस्लाम, इमादुद्दीन खलील पृ. ६६)

6. यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ समझा जाता है जो आदम अलैस्सिलाम से लेकर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक पैग़म्बरों और ईशदूतों पर धर्म के उतरने के तसलसुल और उन्हें अपनी क़ौमो के साथ किन घटनाओं का सामना हुआ, इन सभी चीज़ों को स्पष्ट करता है।

7. अल्लाह तआला ने उसके अन्दर कमी व बेशी और परिवर्तन व बदलाव होने से सुरक्षा की है ताकि वह मानवता के लिए सदा बाकी रहे यहाँ तक कि अल्लाह तआला इस धरती और इस पर रहने वालों का वारिस हो जाए (यानी कियामत के दिन तक), अल्लाह तआला का फरमान है : “हम ने ही ज़िक्र -कुरआन- को उतारा है और हम ही उस की सुरक्षा करने वाले हैं।” (सूरतुल हिज्र :६)

अलबत्ता इसके अलावा जो किताबें हैं अल्लाह तआला ने उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी नहीं उठाई थी क्योंकि वे एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित समुदाय के लिए उतरीं थीं, इसीलिए उनमें परिवर्तन और बदलाव का समावेश हो गया, यहूद ने तौरात में जो परिवर्तन और हेर-फेर किया था उसके संबंध में अल्लाह तआला का फरमान है : “(मुसलमानो!) क्या तुम यह लालच रखते हो कि वो (यहूद) तुम्हारा (सा)

ईमान लाएँगे हालाँकि उनमें का एक गिरोह ऐसा था कि अल्लाह का कलाम सुनता था और अच्छी तरह समझने के बाद उलट फेर कर देता था हालाँकि वह खूब जानते थे।” (सूरतुल बकरा :७५)

तथा इंजील में ईसाईयों के परिवर्तन और हेर फेर के बारे में फरमाया : “और जो लोग कहते हैं कि हम नसरानी हैं उनसे (भी) हमने ईमान का अहद व पैमान लिया था मगर जब जिन जिन बातों की उन्हें नसीहत की गयी थी उनमें से एक बड़ा हिस्सा भुला बैठे तो हमने भी (उसकी सज़ा में) क़ियामत तक उनमें बाहम अदावत व दुशमनी की बुनियाद डाल दी और अल्लाह उन्हें निकट ही (क़ियामत के दिन) बता देगा कि वह क्या क्या करते थे। ऐ अहले किताब तुम्हारे पास हमारा पैग़म्बर (मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आ चुका जो किताबे खुदा की उन बातों में से जिन्हें तुम छुपाया करते थे बहुतेरी तो

साफ़ साफ़ बयान कर देगा और बहुतेरी से दरगुज़र करेगा तुम्हारे पास तो अल्लाह की तरफ़ से एक (चमकता हुआ) नूर और साफ़ साफ़ बयान करने वाली किताब (कुरआन) आ चुकी है।” (सूरतुल माईदा : 94-95)

यहूदियों और ईसाईयों ने अपने धर्म में जो परिवर्तन किए हैं उन्हीं में से यहूद का यह गुमान है कि उज़ैर अल्लाह के पुत्र हैं और ईसाईयों का यह गुमान है कि ईसा मसीह अल्लाह के पुत्र हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : “यहूद तो कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और नसारा कहते हैं कि मसीह (ईसा) अल्लाह के बेटे हैं, ये तो उनके अपने मुँह की बातें हैं जिनके द्वारा ये लोग भी उन्हीं काफ़िरों की बातों की मुशाबहत कर रहे हैं जो इनसे पहले गुज़र चुके हैं, अल्लाह इन्हें क़त्ल (तहस नहस) करे ये कहाँ से कहाँ भटके जा रहे हैं।” (सूरतुत्तौबा : 30)



इस पर कुरआन ने इनके भ्रष्ट आस्था का खण्डन और उचित आस्था प्रस्तुत करते हुए फरमाया : “(ऐ रसूल!) आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह बेनियाज़ है। न उसने किसी को जना न उसको किसी ने जना, और उसका कोई हमसर (समकक्ष) नहीं। (सूरतुल इख़्लास)

इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि आजकल लोगों के हाथों में मौजूद इंजीलें न तो अल्लाह तआला का कलाम हैं और न ही ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम हैं, बल्कि उनके शिष्यों और मानने वालों का कलाम हैं जिन्होंने उसका अन्दर ईसा अलैहिस्सलाम की जीवनी, उपदेश और वसीयतों का समावेश कर दिया है, और कुछ निश्चित मामलों की सेवा के लिए उस में ढेर सारे परिवर्तन, संशोधन और हेर फेर किए गये हैं।

## पुस्तकों पर ईमान लाने के फायदे:

- ❁ - बन्दों पर अल्लाह तआला की कृपा और अनुकम्पा का ज्ञान होता है कि उस ने प्रत्येक उम्मत के लिए पुस्तक अवतरित की ताकि उसके द्वारा उन्हें मार्ग दर्शन प्रदान करे।
- ❁ - धर्म शास्त्र की रचना में अल्लाह तआला की हिक्मत का ज्ञान प्राप्त होता है कि उस ने प्रत्येक उम्मत के लिए उनकी स्थिति के अनुसार धर्म शास्त्र निर्धारित किया।
- ❁ सच्चे मोमिनों की दूसरे लोगों से पड़ताल और पहचान हो जाती हैं, क्योंकि जो अपनी किताब पर ईमान ले आया उसके लिए अनिवार्य है कि वह उसके अलावा उन आसमानी किताबों पर भी ईमान रखे जिसके बारे में और उसके रसूल के बारे में उनकी किताबों में शुभ सूचना दी गई है।

❁ अल्लाह तआला की तरफ से उसके बन्दों के लिए नेकियों के अन्दर कई गुना बढ़ोतरी कर दी जाती है, क्योंकि जो अपनी किताब पर ईमान लाया और साथ ही साथ उसके बाद आने वाली किताबों पर ईमान लाया, उसे दोहरा अज़्र दिया जाता है।

### रसूलों ( ईशदूतों ) पर ईमान लाना:

इस बात पर ईमान (विश्वास) रखना कि अल्लाह सुब्हानहु वतआला ने मनुष्यों में से कुछ पैग़म्बर और ईशदूत चयन किए हैं जिन्हें अपने बन्दों की तरफ धर्म-शास्त्रों के साथ भेजा है ताकि वो अल्लाह तआला की इबादत की पूर्ति, उसके दीन की स्थापना, और उसकी तौहीद यानी उसकी ख़बूबियत, उलूहियत और नामों व गुणों में उसकी एकता को काईम करें, अल्लाह ताआला काफ़रमान है : “ और (ऐ रसूल!) हमने आप से पहले जब कभी कोई रसूल भेजा तो उसके पास

‘वह्य’ भेजते रहे कि बस हमारे सिवा कोई माबूद (काबिले परसतिश) नहीं तो मेरी ही इबादत करो।’  
(सूरतुल अंबिया :२५)

तथा उन्हें अपनी शरीअत का लोगों में प्रसार करने का हुक्म दिया ताकि रसूलों के आ जाने के बाद लोगों के लिए अल्लाह पर कोई हुज्जत (बहाना) न बाकी रह जाए, चुनाँचि वो उन पर और उनकी लाई हुई शरी’अत पर ईमान लाने वालों को अल्लाह की रज़ामंदी और उसकी जन्नत की शुभसूचना देने वाले हैं, और जिन लोगों ने उनका और उनकी लाई शरीअत के साथ कुफ्र किया उन्हें अल्लाह के क्रोध और उसकी यातना से डराने वाले हैं, अल्लाह तआला का फरामन है :“और हम तो रसूलों को सिर्फ इस गरज़ से भेजते हैं कि (नेको को जन्नत की) खुशख़बरी दें और (बुरों को अज़ाबे जहन्नम से) डराएँ, फिर जिसने ईमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए तो ऐसे लोगों पर

(क़ियामत में) न कोई ख़ौफ़ होगा और न वह ग़मगीन होंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया तो उनके बदकारी करने के कारण (हमारा) अज़ाब उनको लिपट जाएगा।” (सूरतुल अंआम : ४८-४९)

अल्लाह के रूसूलों और नबियों की संख्या बहुत अधिक जिसे अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, अल्लाह ताअला का फरमान है : “निःसन्देह हम आप से पूर्व भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं, जिन में से कुछ की घटनाओं का वर्णन हम आप से कर चुके हैं तथा उन में से कुछ की कथाओं का वर्णन तो हम ने आप से किया ही नहीं। (सूरत ग़ाफ़िर: ७८)

सभी रसूलों पर ईमान लाना वाजिब है, और यह कि वो मनुष्यों में से हैं और उन्हें मानव स्वभाव के अलावा किसी अन्य स्वभाव से विशिष्ट नहीं किया गया है, अल्लाह ताअला का फरमान है : “और हम ने आप से पहले भी आदमियों ही को (रसूल बनाकर)

भेजा था कि उनके पास वह्य भेजा करते थे तो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते हो तो आलिमों से पूछकर देखो। और हमने उन (पैगम्बरों) के बदन ऐसे नहीं बनाए थे कि वह खाना न खाएँ और न वह (दुनिया में) हमेशा रहने सहने वाले थे।” (सूरतुल अम्बिया :७-८)

तथा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया : “(ऐ रसूल) आप कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारे ही समान एक आदमी हूँ (फर्क इतना है) कि मेरे पास ये वह्य आई है कि तुम्हारा माबूद यकता माबूद है तो जिस शख्स को आरजू हो कि वह अपने परवरदिगार के सामने हाज़िर होगा तो उसे अच्छे काम करने चाहिए और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न करे।” (सरतुल कहफ :११०)

तथा अल्लाह तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बोर में फरमाया : “मरियम के बेटे मसीह तो बस एक रसूल हैं और उनके पहले (और भी) बहुतेरे रसूल गुज़र चुके हैं

और उनकी माँ भी (अल्लाह की) एक सच्ची बन्दी थी (और आदमियों की तरह) ये दोनों (के दोनों भी) खाना खाते थे, गौर तो करो हम अपनी आयात इनसे कैसा साफ़ साफ़ बयान करते हैं, फिर देखो तो कि ये लोग कहाँ भटके जा रहे हैं।” (सूरतुल माईदा :७५)

ये लोग (यानी रसूल ) उलूहियत की विशेषताओं में से किसी भी चीज़ के मालिक नहीं होते, चुनाँचि वे किसी को लाभ और हानि नहीं पहुँचा सकते, तथा संसार में उनका कोई सत्ता नहीं होता है, अल्लाह तआला ने अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विषय में, जो कि समस्त रसूलों के नायक और अल्लाह के निकट सबसे महान पद वाले हैं, फरमाया :

“आप कह दीजिए कि मैं स्वयं अपने नफस (आप) के लिए किसी लाभ का अधिकार नहीं रखता और न किसी हानि का, किन्तु उतना ही जितना अल्लाह

ने चाहा हो, और यदि मैं प्रोक्ष की बातें जानता होता तो बहुत से लाभ प्राप्त कर लेता और मुझ को कोई हानि न पहुंचती, मैं तो केवल डराने वाला और शुभ सूचना देने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमान रखते हैं। (सूरतुल-आराफ: १८८)

तथा रसूलों ने अमानत को पहुँचा दिया, अल्लाह के संदेश का प्रसार व प्रचार कर दिया, और वो लोगों में सब से सम्पूर्ण इल्म (ज्ञान) व अमल वाले हैं, और अल्लाह तआला ने अपने सनदेश के प्रसार में झूठ, खियानत और कोताही से उन्हें पाक और पवित्र रखा है, अल्लाह तआला का फरमान है : “और किसी पैग़म्बर से नहीं हो सकता की कोई निशानी (मौजिज़ा ) अल्लाह की इजाज़त के बगैर ला दिखाए।” (सरतुर-रअद :३८)

तथा यह भी अनिवार्य है कि हम सभी रसूलों पर ईमान लायें, जो आदमी कुछ पर ईमान लाए और कुछ पर



ईमान न लाए वह काफिर है और इस्लाम धर्म से खारिज है, अल्लाह तआला का फरमान है : “ बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से इन्कार करते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों में तफ़रका डालना चाहते हैं और कहते हैं कि हम कुछ (पैग़म्बरों) पर ईमान लाए हैं और कुछ का इन्कार करते हैं और चाहते हैं कि इस (कुफ़्र व ईमान) के दरमियान एक दूसरी राह निकलें। यही लोग हकीकतन काफ़िर हैं और हमने काफ़िरों के वास्ते ज़िल्लत देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। (सूरतुन्निसा : १५०-१५१)

कुरआन करीम ने २५ नबियों व रसूलों का हम से उल्लेख किया है, अल्लाह ताअला का फरमान है : “और ये हमारी (समझाई बुझाई) दलीलें हैं जो हमने इबराहीम को अपनी कौम पर (ग़ालिब आने के लिए) अता की थी, हम जिसके मरतबे चाहते हैं बुलन्द करते हैं बेशक तुम्हारा परवरदिगार हिक़मत वाला बाख़बर है।

और हमने इबराहीम को इसहाक़ वा याकूब (सा बेटा पोता) अता किया हमने सबकी हिदायत की और उनसे पहले नूह को (भी) हम ही ने हिदायत की और उन्हीं (इबराहीम) की औलाद से दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारुन (सब की हमने हिदायत की) और नेकों कारों को हम ऐसा ही इल्म अता फरमाते हैं। और ज़करिया व यह्या व ईसा व इलियास (सब की हिदायत की (और ये) सब (खुदा के) नेक बन्दों से हैं। और इसमाईल व इलियास व युनूस व लूत (की भी हिदायत की) और सब को सारे जहाँन पर फज़ीलत अता की।” (सूरतुन्निसा : ८३-८६)

तथा आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया : “बेशक अल्लाह ने आदम और नूह और इबराहीम की संतान और इमरान की संतान को सारे संसार पर चुन लिया।” (सूरत आल इमरान : ३३)

तथा अल्लाह तआला ने हूद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया : “और (हमने) क़ौमे आद के पास उनके भाई हूद को (पैग़म्बर बनाकर भेजा और) उन्होंने अपनी क़ौम से कहा ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं।” (सूरत हूद :५०)

तथा सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया : “और (हमने) क़ौमे समूद के पास उनके भाई सालेह को (पैग़म्बर बनाकर भेजा) तो उन्होंने (अपनी क़ौम से) कहा ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह ही की उपासना करो उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं।” (सूरत हूद :६१)

तथा अल्लाह तआला ने शुऐब अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया : “और हमने मद्यन वालों के पास उनके भाई शुऐब को पैग़म्बर बना कर भेजा उन्होंने (अपनी क़ौम से) कहा ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह ही की इबादत

करो उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं।” (सूरत हूद :८४)

तथा इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया : “और इसमाईल और इदरीस और जुलकिफ़्ल ये सब साबिर (धैर्यवान) बन्दे थे।” (सूरतुल अम्बिया :८५)

तथा अल्लाह तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में यह सूचना देते हुए कि आप सभी पैग़म्बरों की अन्तिम कड़ी और मुद्रिका हैं, अतः आप के बाद क़ियामत के दिन तक कोई नबी व रसूल नहीं, इरशाद फरमाया : “ (लोगो!) मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, किन्तु आप अल्लाह के पैग़म्बर और तमाम नबियों के खातम (मुद्रिका) हैं।” (सूरतुल अहज़ाब:४०)

चुनाँचि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म पूर्व धर्मों की पूर्ति करने वाला और उनको समाप्त करने वाला

है, अतः वही सम्पूर्ण सच्चा धर्म है जिसका पालन करना अनिवार्य है और वही क़ियामत के दिन तक बाक़ी रहने वाला है।

उन्हीं रसूलों में से पाँच ऊलुल अज़्म (सुदृढ़ निश्चय और संकल्प वाले) पैग़म्बर हैं, और वे दीन की दावत का बार उठाने, लोगों तक अल्लाह का संदेश पहुँचाने और उस पर सब्र करने में सबसे शक्तिवान हैं, और वे नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा और मुहम्मद अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : “और जब हम ने समस्त नबियों से वचन लिया और विशेष रूप से आप से तथा नूह से तथा इब्राहीम से तथा मूसा से तथा मरियम के पुत्र ईसा से। (सूरतुल-अहज़ाब: ७)

### रसूलों पर ईमान लाने के फायदे :

❁ बन्दों पर अल्लाह तआला की कृपा और उनसे उसकी महब्वत का बोध होता है कि उस ने उन्हीं

में से उन पर रसूल भेजे ताकि वो उन तक अल्लाह के संदेश (धर्मशास्त्र) को पहुँचा दें, और लोग उस में और सकी ओर दावत देने में उनका अनुसरण करें ।

- ❁ सच्चे मोमिनों की दूसरे लोगों से पड़ताल और पहचान हो जाती हैं, क्योंकि जो अपने रसूल पर ईमान ले आया उसके लिए अनिवार्य है कि वह उसके अलावा अन्य रसूलों पर भी ईमान लाए जिनके बारे में उनकी किताबों में शुभ सूचना दी गई है।
- ❁ अल्लाह तआला की तरफ से उसके बन्दों के लिए नेकियों के अन्दर कई गुना बढ़ोतरी कर दी जाती है, क्योंकि जो अपने रसूल पर ईमान लाया और साथ ही साथ उसके बाद आने वाले रसूलों पर भी ईमान लाया, उसे दोहरा अज्र दिया जाये गा।

## आखिरत के दिन पर

### ईमान लाना:

इस बात का दृढ़ विश्वास रखना कि इस दुनिया के जीवन के लिए एक ऐसा दिन निर्धारित है जिस में यह समाप्त और नष्ट हो जाये गा, अल्लाह तआला का फरमान है : “जो (मखलूक) ज़मीन पर है सब फना होने वाली है और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार का चेहरा (अस्तित्व) जो महान और अज़मत वाला है, बाकी रहेगा।” (सूरतुरहमान : २६-२७)

जब अल्लाह तआला दुनिया को नष्ट करने का इरादा करेगा तो इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूँकने (नरसिंघा में फूँक मारने) का आदेश देगा, तो सभी मखलूक मर जायें गे, फिर दुबारा सूर फूँकने का हुक्म देगा तो लोग आपनी क़बरों से जीवित होकर उठ खड़े हों गे, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सभी धरती से लोगों के शरीर एकत्र हो जायें गे, अल्लाह तआला

का फरमान है : “और जब (पहली बार) सूर फूँका जाएगा तो जो लोग आसमानों में हैं और जो लोग ज़मीन में हैं (मौत से) बेहोश होकर गिर पड़ेंगे) मगर (हाँ) जिस को अल्लाह चाहे (वह अलबत्ता बच जाएगा) फिर जब दोबारा सूर फूँका जाएगा तो फौरन सब के सब खड़े हो कर देखने लगेंगे।” (सूरतुज्जुमर : ६८)

आखिरत के दिन पर ईमान लाने में मृत्यु के पश्चात घटने वाली उन समस्त चीज़ों पर ईमान लाना भी सम्मिलित है जिनके बारे में अल्लाह तआला ने अपनी किताब में और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सूचना दी है :

१. बर्ज़ख़ के जीवन पर विश्वास रखना, इस से अभिप्राय वह अवधि है जो आदमी के मरने के बाद से शुरू हो कर क़ियामत आने तक की है, जिस में अल्लाह पर विश्वास रखने वाले मोमिन लोग नेमतों में होंगे और उसका इन्कार करने वाले नास्तिक लोग



यातना में होंगे, फिर्औनियों के विषय में अल्लाह तआला का फरमान है : “और फिरऔनियों को बुरी तरह के अज़ाब ने घेर लिया, आग है जिस पर यह प्रातः काल और सायंकाल पेश किये जाते हैं, और जिस दिन महाप्रलय होगा (आदेश होगा कि) फिर्औनियों को अत्यन्त कठिन यातना में झोंक दो।” (सूरतुल-मोमिनः ४६)

२. बा'स (मरने के बाद दुबारा उठाए जाने) पर ईमान लाना: बा'स से मुराद वह दिन है जिस में अल्लाह तआला हे हुक्म से सभी मृतक जीवित होकर नंगे पैर, नंगे शरीर और बिना ख़त्ना के उठ खड़े होंगे, अल्लाह तआला का फ़रमान है: “इन काफ़िरों का भ्रम (गुमान) है कि वह पुनः जीवित नहीं किए जायेंगे, आप कह दीजिए कि क्यों नहीं, अल्लाह की सौगन्ध ! तुम अवश्य पुनः जीवित किए जाओगे, फिर जो तुम ने

किया है उस से अवगत कराए जाओगे, और अल्लाह पर यह अत्यन्त सरल है। (सूरतुत-तगाबुन: ७)

चूँकि बहुत से लोग मरने के बाद पुनः जीवित किए जाने और हिसाब किताब के लिए उठाए जाने को अस्वीकार करते हैं, इसलिए कुरआन ने कई उदाहरणों का उल्लेख किया है जिनमें उसने यह स्पष्ट किया है कि मरने के बाद पुनः जीवित किया जाना और उठाया जाना सम्भव है, और इनकार करने वालों के सन्देहों का खण्डन किया है और उसको व्यर्थ ठहराया है, उन्हीं उदाहरणों में से निम्नलिखित हैं :

❁ मृत (बंजर) और सूखी हुई धरती में हरे-भरे पेड़-पौदे उगाकर उसे जीवित किये जाने में विचार और गौर करना, अल्लाह तआला का फरमान है :  
 “अल्लाह की निशानियों में से यह भी है कि तू धरती को सूखी हुई और मृत देखता है, फिर जब हम उस पर वर्षा बरसाते हैं तो वह हरित हो कर

उभरने लगती है, जिस ने उसे जीवित किया है वही निःसन्देह (निश्चित तौर पर) मृतकों को भी जीवित करने वाला है, निः सन्देह वह प्रत्येक चीज़ पर सामर्थी है। (सूरत-फुस्सिलत: ३६)

❁ आसमानों और ज़मीन की रचना में गौर करना जो कि मनुष्य को पैदा करने से कहीं बढ़कर हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : “क्या वह नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने आकाशों और धरती को पैदा किया और उनके पैदा करने से वह नहीं थका, वह बेशक मुर्दों को जीवित करने की शक्ति रखता है, क्यों न हो? वह निःसन्देह हर चीज़ पर शक्तिवान है।” (सूरतुल अह्काफ :३३)

❁ मनुष्य के सोने और नींद से बेदार होने में गौर करना, जो कि मरने के बाद जीवित होने ही के समान है, और नींद को छोटी मृत्यु भी कहा जाता है, अल्लाह ताअला का फरमान है : “ अल्लाह ही

प्राणों (आत्माओं) को उनकी मृत्यु के समय और जिनकी मौत नहीं आई उन्हें उनकी निद्रा के समय वफात देता (निष्कासित कर लेता) है, फिर जिन पर मृत्यु का आदेश सिद्ध हो चुका है उन्हें तो रोक लेता है और दूसरी आत्माओं को एक निर्धारित समय तक के लिए छोड़ देता है, गौर व फिक्र करने वालों के लिए यकीनन इसमें बड़ी निशानियाँ हैं।” (सूरतुज-जुमर: ४२)

❁ मनुष्य के पहली बार पैदा किये जाने में गौर व फिक्र करना, अल्लाह तआला का फरमान है : “और हमारी निसबत बातें बनाने लगा और अपनी ख़िलक़त (की हालत) भूल गया और कहने लगा कि भला जब ये हड्डियाँ (सड़ गल कर) खाक हो जाएँगी तो (फिर) कौन (दोबारा) ज़िन्दा कर सकता है? (ऐ रसूल!) आप कह दीजिए कि उसको वही ज़िन्दा करेगा

जिसने उनको (जब ये कुछ न थे) पहली बार पैदा किया।” (सूरत यासीन :७८-७९)

३.हश्त्र और पेश किए जाने पर विश्वास रखना, यानी जब अल्लाह तआला सभी लोगों को हिसाब-किताब के लिए एकत्र करेगा और उनके आमाल (करतूत) पेश किए जायेंगे, अल्लाह अताला का फरमान है : “और (उस दिन को याद करो) जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएँगे और तुम ज़मीन को खुला मैदान (आबादी से खाली) देखोगे और हम इन सभी को इकट्ठा करेंगे तो उनमें से एक को न छोड़ेंगे, सबके सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने कतार पे कतार पेश किए जाएँगे और (उस वक़्त हम याद दिलाएँगे कि) जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था (उसी तरह) तुम लोगों को (आख़िर) हमारे पास आना पड़ा।” (सूरतुल कहफ :४७-४८)

४. इस बात पर विश्वास रखना कि मनुष्य के एक-एक अंग गवाही देंगे, अल्लाह तआला का फरमान है : “यहाँ तक की जब सब के सब जहन्नम के पास जाएँगे तो उनके कान और उनकी आँखें और उनके (गोश्त पोस्त) उनके खिलाफ उनकी कर्तूतों की गवाही देंगे, और ये लोग अपने अंगों से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी तो वह जवाब देंगे कि जिस अल्लाह ने हर चीज़ को बोलने की शक्ति दी उसने हमको भी बोलने की क्षमता दी और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था और (आखिर) उसी की तरफ लौट कर जाओगे, और (तुम्हारी तो ये हालत थी कि) तुम लोग इस ख़्याल से (अपने गुनाहों की) पर्दा दारी भी तो नहीं करते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखे और तुम्हारे आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे बल्कि तुम इस ख़्याल मे

(भूले हुए) थे कि अल्लाह को तुम्हारे बहुत से कामों की ख़बर ही नहीं।” (सूरत फुस्सिलत :२०-२२)

५. प्रश्न किये जाने पर ईमान रखना, अल्लाह तआला का फरमान है : “और (हाँ ज़रा) उन्हें ठहराओ तो उनसे कुछ पूछना है, अब तुम्हें क्या होगया कि एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि वे तो आज गर्दन झुकाए हुए हैं।” (सूरतुस्साफ़ात :२४)

६. पुल सिरात से गुज़रने पर ईमान रखना, अल्लाह तआला का फरमान है: “और तुम मे से कोई ऐसा नहीं जो उस पर (यानी जहन्नुम पर बने पुल सिरात) से होकर न गुज़रे, यह तुम्हारे परवरदिगार का कृतई फैसला (वादा) है, फिर हम परहेज़गारों को बचा लेंगे और ज़ालिमों (नाफ़रमानों) को घुटने के बल उसमें छोड़ देंगे।” (सूरत मर्यम :७१-७२)

७. आमाल के वज़न किए जाने पर ईमान रखना, चुनाँचि नेक लोगों को उनके ईमान, सत्यकर्म, और

रूसलों की पैरवी के फलस्वरूप अच्छा बदला दिया जायेगा, और बुरे लोगों को उनकी बुराई, कुफ्र या पैग़म्बरों की अवज्ञा के कारण सज़ा दिया जाये गा, अल्लाह तआला का फरमान है : “क़ियामत के दिन हम शुद्ध और उचित तौलने वाली तराजू को लाकर रखेंगे, फिर किसी प्राणी पर तनिक सा भी अत्याचार नहीं किया जाएगा, और यदि एक राई के दाना के बराबर भी कुछ कर्म होगा हम उसे सामने करदेंगे, और हम काफ़ी हैं हिसाब करने वाले।” (सूरतुल-अंबिया: ४७)

८. कर्म-पत्रों (नामा-ए-आमाल) के खोल दिये जाने पर ईमान रखना, अल्लाह तआला का फरमान है : “जिस व्यक्ति के दाहिने हाथ में नाम-ए-आमाल (कर्मपत्र) दिया जाएगा। उसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया जाएगा। और वह अपने परिवार वालों की ओर हँसी खुशी लौट आएगा। मगर जिस



व्यक्ति का नाम-ए-आमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा। तो वह मृत्यु को बुलाने लगेगा। और भड़कती हुई जहन्नम में प्रवेश करेगा।” (सूरतुल इंशिकाक :9-9२)

६. सदैव के जीवन में जन्नत या जहन्नम के द्वारा बदला दिए जाने पर ईमान रखना, अल्लाह तआला का फरमान है : “ बे-शक जो लोग अहले किताब में से काफिर हुए और मूर्तिपूजक, वे जहन्नम की आग (में जाएंगे) जहाँ वे हमेशा रहेंगे, ये लोग बद्-तरीन (तुच्छ श्रेणी की) मख्लूक हैं। बे-शक जो लोग ईमान लाये और नेक कार्य किये, ये लोग बेहतरीन (सर्वोच्च श्रेणी की) मख्लूक हैं। उनका बदला उनके रब के पास हमेशगी वाली जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जिनमें वे हमेशा-हमेश रहेंगे। अल्लाह (तआला) उनसे खुश हुआ और ये उससे। यह है

उसके लिये जो अपने रब से डरे।” (सरतुल बैयिना :६-८)

१०. हौज़ (कौसर), शफाअत ... इत्यादि पर ईमान लाना जिनके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सूचना दी है।

## आखिरत के दिन पर ईमान लाने के फायदे:

- ❁ आखिरत के दिन के पुण्य और अज़्र व सवाब की आशा में निरंतर सत्कर्म करके और भलाई के कामों में पहल करके, तथा आखिरत के दिन की यातना के भय से अवज्ञा और पाप से दूर रह कर उस दिन के लिए तैयारी करना।
- ❁ सांसारिक भलाईयों और हितों के प्राप्त न होने पर मोमिन को डारस प्राप्त होता है, क्योंकि वह

आखिरत की नेमतों और प्रतिफल की आशा रखता है।

❁ सच्चे मोमिनों की अन्य लोगों से परख और पड़ताल होती है।

### तक्दीर-भाग्य-पर ईमान लाना:

इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह तआला को प्रत्येक चीज़ों का उनके वजूद में आने से पूर्व अनादि-काल -अज़ल- ही में ज्ञान है, तथा वह किस तरह वजूद में आये गी। फिर उसे अल्लाह तआला ने अपने ज्ञान और तक्दीर के अनुसार वजूद बख़शा है, अल्लाह तआला का फरमान है : “निःसन्देह हम ने प्रत्येक चीज़ को एक निर्धारित अनुमान पर पैदा किया है।” (सूरतुल-क़मर :४६)

चुनाँचि इस संसार में जो कुछ घटित हो चुका है, और जो कुछ घट रहा है, और जो कुछ घटेगा, सभी चीज़ों

को अल्लाह तआला उनके घटने और वजूद में आने से पूर्व ही जानता है, फिर अल्लाह तआला ने उसे अपनी मशीयत (चाहत) और तक्दीर (अनदाज़े) से वजूद बख़्शा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “कोई बन्दा मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वह अच्छी और बुरी तक्दीर -भाग्य- पर ईमान रखे, यहाँ तक कि उसे विश्वास हो जाए कि उसे जो चीज़ पहुँची है वह उस से चूकने वाली नहीं थी, और जो चीज़ उस से चूक गई है वह उसे पहुँचने वाली नहीं थी।” (सुनन तिर्मिज़ी ४/४५९ हदीस नं. :२९४४)

यह इस बात का विरोधक नहीं है कि कारणों को अपनाया और उस पर अमल न किया जाए, उदाहरण के तौर पर : जो आदमी संतान चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि उस कारण को अपनाए और उसके अनुसार कार्य करे जिस से उसका उद्देश्य पूरा होता हो

और वह है शादी करना, किन्तु यह कारण कभी अल्लाह की मशीयत के अनुसार लक्षित परिणाम -यानी संतान- देता है और कभी नहीं देता है, क्योंकि स्वयं कारण ही कारक नहीं होते हैं बल्कि सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर निर्भर करता है, और यह कारण (असबाब) भी जिन्हें हम अपनाते हैं, अल्लाह की तक्दीर में से हैं, इसीलिए अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने सहाबा से इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए उस समय फरमाया जब उन्होंने ने कहा : आप का क्या विचार है कि दवायें जिन से हम उपचार करते हैं और झाड़-फूँक जिनके द्वारा हम झाड़-फूँक करते हैं, क्या ये अल्लाह की तक्दीर को पलट देते हैं? आप ने उत्तर दिया : ये अल्लाह की तक्दीर ही से हैं।” (मुस्तदरक हाकिम ४/२२१ हदीस नं.: ७४३१)

इसी तरह भूख, प्यास और ठण्ड तक्दीर में से हैं, और लोग खाना खा कर भूख, पी कर प्यास और गरमी प्राप्त करके ठण्ड को दूर करते हैं, चुनाँचे उनके ऊपर जो भूख, प्यास और ठण्ड मुक़द्दर किया गया है उन्हें अपने ऊपर मुक़द्दर किये गए खाने, पीने और गरमी प्राप्त करने के द्वारा दूर करते हैं, इस तरह वह अल्लाह की एक तक्दीर को उसकी दूसरी तक्दीर से दूर करते हैं।

## कज़ा व क़द्र (भाग्य) पर ईमान लाने के फायदे:

- जो कुछ मुक़द्दर था और घट चुका है उस पर राज़ी और प्रसन्न होने से हार्दिक आनंद और सन्तोष प्राप्त होता है, चुनाँचि जो चीज़ घटित हुई है या प्राप्त होने से रह गई है उसके प्रति शोक और चिन्ता का कोई प्रश्न नहीं रह जाता

है, और यह बात किसी पर रहस्य नहीं कि हार्दिक आनंद और सन्तोष का न होना बहुत सारी मानसिक बीमारियों जैसेकि शोक, चिन्ता का कारण बनता है जिनका शरीर पर नकारात्मक (उलटा) प्रभाव पड़ता है, जबकि क़ज़ा व क़द्र पर ईमान, जैसाकि अल्लाह तआला ने सूचना दी है, इन सब चीज़ों को समाप्त कर देता है, अल्लाह तआला का फरमान है : “न कोई आपत्ति (संकट) संसार में आती है न विशिष्ट रूप से तुम्हारी प्राणों में परंतु इस से पूर्व कि हम उसको उत्पन्न करें वह एक विशेष पुस्तक में लिखी हुई है, यह काम अल्लाह पर अत्यन्त सरल है। ताकि तुम अपने से छिन जाने वाली चीज़ पर दुखी न हो जाया करो और न प्राप्त होने वाली चीज़ पर प्रफुल्ल हो जाया करो, अल्लाह तआला गर्व करने

वाले अभिमानी लोगों से प्रेम नहीं करता।”  
(सूरतुल-हदीद: २२, २३)

- अल्लाह तआला ने इस संसार में जो चीजें रखी हैं उनको जानने और उनकी खोज करने का निमन्त्रण है, इस प्रकार कि मनुष्य पर जो चीजें मुक़द्दर हैं जैसे कि बीमारी तो वह अल्लाह तआला की तक्दीर है जो उसे उस उपचार के खोजने पर उभारती है जो पहले तक्दीर को दूर कर सके, और वह इस प्रकार कि अल्लाह तआला ने इस संसार में जो चीजें पैदा की हैं उन में दवाओं के स्रोत की खोज करे।
- इंसान के साथ जो दुर्घटनायें घटती हैं वह हल्की और साधारण हो जाती हैं, अगर किसी आदमी का उसकी तिजारत में घाटा हो जाए, तो यह घाटा उसके लिए एक दुर्घटना है, अब अगर वह इस पर शोक और चिन्ता प्रकट करे तो



उसकी दो मुसीबतें (दुर्घटनायें) हो गईं, एक घाटा उठाने की मुसीबत और दूसरी शोक और चिन्ता की मुसीबत। लेकिन जो आदमी क़ज़ा व क़दर (भाग्य) पर विश्वास रखता है वह पहले घाटे पर सन्तुष्ट हो जायेगा, क्योंकि वह जानता है कि वह उसके ऊपर मुक़दर था और आवश्यक रूप से घटने वाला था, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : “शक्तिशाली मोमिन अल्लाह तआला के निकट निर्बल मोमिन से उत्तम और प्रियतम है, वैसे तो दोनों के अन्दर भलाई है, जो चीज़ तुम्हें लाभ पहुँचाये उसके इच्छुक और अभिलाषी बनो तथा अल्लाह तआला से सहायता मांगो और निराश न हो, यदि तुम्हें कोई संकट पहुँचे तो यह न कहो कि यदि मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा ऐसा होता, बल्कि यों कहो कि अल्लाह ने भाग्य में यही

निर्धारित किया था और जो अल्लाह ने चाहा वह हुआ, क्योंकि शब्द (लौ لو) अर्थात यदि शैतानी कार्य का द्वार खोलता है। (सहीह मुस्लिम ४/२०५२ हदीस नं.:२६६४)

तक्दीर पर ईमान रखना अनावश्यक भरोसे, कार्य न करने और कारणों (असबाब) को ना अपनाने का नाम नहीं जैसाकि कुछ लोगों का गुमान है, यह अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखिए कि आप उस आदमी से जिस ने आप से पूछा था कि क्या मैं अपनी ऊँटनी को छोड़ दूँ और तवक्कुल करूँ? फरमाते हैं : “ उसे बाँध दो और तवक्कुल करो।” (सहीह इब्ने हिब्बान २/५१० हदीस नं.:७३१)

कौली और फे'ली (कथन और कर्म से संबंधित) इबादतें जिन्हें इस्लाम के स्तम्भ (अर्कान) कहा जाता है :

यही वह आधारशिला है जिस पर इस्लाम स्थापित है और इसी के द्वारा आदमी के मुसलमान होने या न होने का हुक्म लगाया जाता है, इन स्तम्भों में से कुछ कौली (कथनी) हैं, और वह 'शहादतैन' (ला-इलाहा-इल्लल्लाह और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की शहादत यानी गवाही) है, और इन में से कुछ शारीरिक हैं, जैसे 'नमाज़ और रोज़ा' हैं, और इन में से कुछ का संबंध धन से है, और वह है 'ज़कात' और कुछ का संबंध धन और शरीर दोनों से है और वह 'हज्ज' है। इस्लाम अपने मानने वालों को इन स्तम्भों का मुकल्लफ (ज़िम्मेदार और प्रतिबद्ध) बनाकर मात्र औपचारिकतायें पूरी करना नहीं चाहता है बल्कि उसका उद्देश्य इन उपासनाओं

की अदायगी के द्वारा उनकी आत्माओं को पवित्र करना, उनकी शुद्धता और उन्हें सुशोभित करना है, इस्लाम यह चाहता है कि इन स्तम्भों का पालन करना व्यक्ति और समाज के सुधार और उनके शुद्धीकरण का साधन बन जाए, अल्लाह तआला ने नमाज़ के बारे में फरमाया : “निःसन्देह नमाज़ बेहयाई (अश्लीलता) और बुरी बातों से रोकती है।” (सूरतुल अंकबूत :४५)

तथा अल्लाह तआला ने ज़कात के बारे में फरमाया: “आप उनके मालों में से सद्क़ा ले लीजिए जिस के द्वारा आप उन्हें पाक व साफ कर दीजिए।” (सूरतुत्तौबा :१०३)

तथा अल्लाह तआला ने रोज़े के बारे में फरमाया : “ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया

गया था, ताकि तुम सयंम और भय अनुभव करो।  
(सूरतुल बकरा: १८३)

चुनाँचि रोज़ा नफ्स की इच्छाओं और खाहिशों से रुकने पर प्रशिक्षण और अभ्यास है, इस की व्याख्या रोज़े के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन से होती है : “जो व्यक्ति झूठ बात कहने और झूठ पर अमल करने और मूर्खता से न बचे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग कर दे।” (सहीह बुखारी ५/२२५१ हदीस नं.:५७१०)

तथा अल्लाह तआला ने हज्ज के बारे में फरमाया : “हज्ज के कुछ जाने पहचाने महीने हैं, अतः जिस ने इन महीनों में हज्ज को फर्ज कर लिया, तो हज्ज में कामुकता की बातें, फिस्क़ व फुजूर (अवहेलना) और लड़ाई-झगड़ा नहीं है।” (सूरतुल बकरा :१६७)

इस्लाम में उपासनाओं का शिष्टाचार और उत्तम व्यवहार की स्थापना करने और उसे बढ़ावा देने में एक महान रोल और योगदान है, इस्लाम के स्तम्भ (अरकान ) निम्नलिखित हैं :

### **पहला स्तम्भ : शहादतैन**

यानी ला-इलाहा-इल्लल्लाह की शहादत और मुहम्मदुरसूलुल्लाह की शहादत ।

इस स्तम्भ का संबंध कथन से है, और यह इस्लाम में प्रवेश करने की कुंजी है जिस पर अवशेष स्तम्भों का आधार है ।

### **ला-इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ :**

यही तौहीद का कलिमा है जिसके लिए अल्लाह तआला ने मख्लूक को पैदा किया और जन्नत और जहन्नम बनाये गये, अल्लाह तआला का फरमान है : “मैं ने जिन्नात

और मनुष्य को मात्र इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी उपासना करें।” (सूरतुज्ज़ारियत : ५६)

यही नूह अलैहिस्सलाम से लेकर अन्तिम पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक सभी नबियों और रसूलों की दावत रही है, अल्लाह तआला का फरमान है : “आप से पहले जो भी संदेशवाहक हमने भेजा उसकी ओर यही व्ह्य (ईश्वाणी) की कि मेरे अतिरिक्त कोई वास्तविक पूजा पात्र नहीं, सो तुम मेरी ही उपासना करो।” (सूरतुल-अम्बिया: २५)

उसका अर्थ :

१. इस संसार का अल्लाह के अतिरिक्त कोई उत्पत्ति कर्ता नहीं।
२. इस संसार में अल्लाह के अतिरिक्त कोई स्वामी और तसरुफ (हेर फेर) करने वाला नहीं।

३. अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य उपासना का पात्र नहीं।
४. वह हर पूर्णता (कमाल) की विशेषताओं से विशिष्ट और हर ऐब और कमी से पवित्र है।

### 'ला-इलाहा-इल्लल्लाह' के तकाज :

9. इस बात का ज्ञान होना कि अल्लाह के अलावा जो भी पूज्य हैं वो बातिल (व्यर्थ और असत्य ) हैं, अतः अल्लाह के अलावा कोई सच्चा मा'बूद नहीं जो कि इस बात का अधिकार रखता हो कि उसके लिए किसी प्रकार की उपासना की जाए जैसे : नमाज़, दुआ, उम्मीद, कुर्बानी, मन्नत... इत्यादि। चाहे वह कोई भेजा हुआ नबी, या निकटवर्ती फरिश्ता ही क्यों न हो। जिसने किसी प्रकार की कोई इबादत अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के लिए उपासना और सम्मान के तौर पर की, तो



वह काफिर है, अगरचे वह शहादतैन का इक़रार करने वाला ही क्यों न हो।

२. ऐसा यकीन (विश्वास) जिसमें किसी शक और संकोच का समावेश न हो, अल्लाह तआला का फरमान है : “ईमान वाले तो वे हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लायें, फिर शक न करें, और अपने माल से और अपनी जान से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहें, (अपने ईमान के दावे में) यही लोग सच्चे हैं।” (सूरतुल हुजरात : १५)
३. इसको स्वीकार करना, इसे टुकराना नहीं, अल्लाह तआला का फरमान है: “ये वे लोग हैं कि जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा मा'बूद नहीं, तो यह घमण्ड करते थे।” (सूरतुस्साफ़ात : ३५)
४. इसके तकाज़े के अनुसार अमल करना, चुनाँचि अल्लाह के आदेशों का पालन करना और उसकी

निषिद्ध चीजों को छोड़ देना, अल्लाह ताअला का फरमान है : “और जो व्यक्ति अपने आप को अल्लाह के ताबे (अधीन) करदे और वह हो भी नेकी करने वाला , तो यकीनन उसने मज़बूत कड़ा थाम लिया, और सभी कामों का अन्जाम अल्लाह की ओर है।” (सूरत लुक़्मान :२२)

५. इसमें वह सच्चा हो, अल्लाह तआला का फरमान है : “यह लोग अपनी जुबानों से वह बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है।” (सूरतुल-फ़ह :११)
६. वह अकेले अल्लाह की इबादत करने में मुख़्तस हो, अल्लाह तआला का फरमान है : “उन्हें इसके सिवाय कोई हुक्म नहीं दिया गया कि केवल अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए धर्म को शुद्ध (ख़ालिस) कर करके, एकसू हो कर।” (सूरतुल बय्यिना :५)

७. अल्लाह से महब्वत करना और अल्लाह के रसूल, उसके औलिया, और नेक बन्दों से महब्वत करना, अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखने वालों से दुश्मनी और द्वेष रखना, और अल्लाह और उसके रसूल की प्रिय चीज़ों को प्राथमिकता और वरीयता देना, अगरचि वह आदमी की इच्छा या पसन्द खिलाफ हो, अल्लाह तआला का फरमान है:
- “आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे लड़के और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे कुंवे-कबीले और तुम्हारे कमाए हुए धन और वह तिजारत जिसके मंदा होन से तुम डरते हो और वह हवेलियाँ जिन्हें तुम पसन्द करते हो - अगर ये सब तुम्हें अल्लाह से और उसके पैग़म्बर से और उसके रास्ते में जिहाद से भी अधिक् प्यारे हैं, तो तुम प्रतीक्षा करो कि अल्लाह तआला अपना अज़ाब

ले आए। अल्लाह तआला फासिकों को हिदायत नहीं देता।” (सूरतुत-तौबा:२४)

इसके तकाज़े ही में यह भी दाखिल हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर इबादतों में क़ानून साज़ी और मामलात में व्यवस्थापन, किसी चीज़ को हलाल यहा हराम ठहराने का अधिकार केवल अल्लाह के लिए है, जिसे उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथों पर स्पष्ट किया है, अल्लाह तआला फरमाता है : “और पैग़म्बर जो कुछ तुम्हें दें, उसे ले लो और जिन चीज़ों से तुम्हें रोक दें, उनसे रुक जाओ।” (सूरतुल-हश्र:७)

## ‘मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह’ की शहादत का अर्थ :

► नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिन चीज़ों का आदेश दिया है, उनमें आपकी फरमांबरदारी करना,

जिन चीजों की आप ने सूचना दी है उनमें आप को सच्चा मानना, जिन चीजों से आप ने रोका है उन से बचना, अल्लाह तआला का फरमान है : “जो रसूल की फरमांबरदारी करे उसी ने अल्लाह की फरमांबरदारी की।” (सूरतुन्निसा :८०)

- आप की पैग़म्बरी का आस्था रखना और इस बात का अक़ीदा रखना कि आप सबसे अन्तिम और सब से अफ़ज़ल रसूल हैं जिनके बाद कोई अन्य नबी व रसूल नहीं है, अल्लाह तआला का फरमान है : “मुहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के पिता नहीं, बल्कि अल्लाह के संदेशवाहक और समस्त नबियों के खातम (मुद्रिका) हैं। (सूरतुल-अहज़ाब:४०)

- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने परवरदिगार की तरफ से जिस चीज़ का प्रसार व प्रचार किया उसमें आप के गुनाहों से मा'सूम

(पवित्र) होने का अकीदा रखना, अल्लाह तआला का फरमान है : “और वह अपनी इच्छा से कोई बात नहीं कहते हैं। वह तो केवल वह्य (ईश्वाणी) होती है जो उतारी जाती है।” (सूरतुन-नज्म:३-४)

जहाँ तक दुनियावी मामलात का संबंध है तो आप एक मनुष्य हैं, चुनाँचि अपने फैसलों और अहकाम में आप इज्तिहाद करते थे, पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : “मैं तुम्हारे समान एक मनुष्य हूँ, और तुम मेरे पास अपने झगड़े फैसला के लिए लेकर आते हो, और शायद तुम में से कोई आदमी अपनी हुज्जत को पेश करने में दूसरे से अधिक माहिर हो और जो कुछ मैं सुनता हूँ उसके अनुसार उसके हक़ में फैसला कर दूँ, तो (सुनो!) जिसके लिए भी मैं उसके भाई के हक़ में से किसी चीज़ का फैसला कर दूँ, तो वह उसे न ले, क्योंकि मैं

उसे जहन्नम का ए टुकड़ा दे रहा हूँ।” (सहीह बुखारी ६/२५५५ हदीस नं.: ६५६६)

- इस बात का अक़ीदा रखना कि आप की पैग़म्बरी क़ियामत आने तक सभी मनुष्यों और जिन्नात के लिए सामान्य है, अल्लाह तआला का फरमान है: “हम ने आप को सर्व मानव के लिए शुभ सूचना देने वाला और डराने वाला (सावधान करने वाला ) बनाकर भेजा है।”
- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत की पैरवी करना, उसको थामे रहना और उसमें कुछ बढ़ाना-चढ़ाना नहीं, क्योंकि अल्लाह ताअला का फरमान है : “कह दीजिए अगर तुम अल्लाह तआला से महब्वत रखते हो तो मेरी पैरवी (अनुसरण) करो, स्वयं अल्लाह तआला तुम से महब्वत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और अल्लाह तआला

बड़ा माफ करने वाला और बहुत मेहरबान (दयालु) है।” (सुरत-आल इम्रान:३१)

## दूसरा स्तम्भ : नमाज़ काईम करना :

यह धर्म का आधारशिला और नीव है जिस पर वह स्थापित है, जिसने इसे छोड़ दिया वह काफिर हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “धर्म का मूल और सिर इस्लाम (शहादतैन का इकरार) है, और उसका खम्भा (स्तम्भ) नमाज़ है, और उसकी बलन्दी और शान जिहाद है।” (सुनन तिर्मिज़ी ५/११ हदीस नं.:२६१६)

यह कुछ अकूवाल और आमाल का नाम है, जिसका आरम्भ तक्वीर से होता है और अन्त सलाम फेर कर होता है, जिसे मुसलमान अल्लाह की फरमांबरदारी करते हुए, उसकी ता’ज़ीम और सम्मान करते हुए



काईम करता है, जिसमें वह अपने रब से एकान्त में होकर उस से सरगोशी करता और गिड़गिड़ाता है। यह बन्दे और उसके पालनहार के बीच एक संबंध है, जब मुसलमान दुनिया के आनंदों में डूब जाता है और उसके दिल में ईमान की चिंगारी बुझने लगती है, तो मुअज़्ज़िन जैसे ही नमाज़ के लिए गुहार लगाता है, पुनः ईमान की चिंगारी भड़क उठती है, इस प्रकार वह हर समय अपने पैदा करने वाले से जुड़ा और संबंध बनाए रखता है। यह रात-दिन में पाँच समय है जिन्हें मुसलमान जमाअत के साथ मस्जिद में अदा करता है सिवाय इसके कि कोई उज़्र (कारण) हो। इसमें वो एक दूसरे से परिचित होते हैं, उनके बीच उलफत व महब्बत (प्यार और स्नेह) के बंधन मज़बूत होते हैं तथा वो एक दूसरे के हालात का जायज़ा लेते हैं, उनमें कोई बीमार होता है तो उसका दर्शन करते हैं, उनमें जो ज़रूरतमंद होता है उसकी सहायता करते हैं,

उनमें जो शोकग्रस्त होता है उसकी गमखारी करते हैं, और उनमें जो कोताही का शिकार होता है उसे नसीहत करते हैं। इसमें सभी सामाजिक भेद-भाव टूट कर चकना चूर हो जाते हैं, सभी मुसलमान एक साथ पंक्तिबद्ध कन्धे से कन्धा और पैर से पैर मिलाकर खड़े हो जाते हैं, कौन छोटा है और कौन बड़ा, कौन धनी है और कौन निर्धन, कौन ऊँचा (शरीफ) है और कौन नीच (तुच्छ) सब के सब अल्लाह के आगे शीश नवाने में बराबर होते हैं, सब एक ही क़िब्ला की ओर मुँह करके खड़े होते हैं, एक ही समय में एक ही तरह की हरकते और एक ही मन्त्र पढ़ रह होते हैं।

### **तीसरा स्तम्भ : जकात देना**

यह धन की एक निर्धारित मात्रा है जिसे एक मालदार मुसलमान अल्लाह तआला के आदेश का पालन करते हुए अपने धन से खुशी-खुशी निकालता है, और उसे अपने ज़रूरतमंद भाईयों जैसे गरीबों, मिसकीनों,

हाजतमंदों को देता है ताकि उनकी ज़रूरत पूरी करे और उन्हें भीख मांगने की रूसवाई से बचा ले, यह हर उस मुसलमान पर अनिवार्य है जो ज़कात के निसाब का मालिक है, क्योंकि अल्ला तआला का कथन है : “उन्हें इसके सिवाय कोई हुक्म नहीं दिया गया कि केवल अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए धर्म को शुद्ध (खालिस) करके, यकसू हो कर। और नमाज़ कायम करें और ज़कात दें, यही धर्म है सीधी मिल्लत का।” (सूरतुल बय्यिना :५)

जिसने इसके अनिवार्य होने का इंकार किया उसने कुफ़्र किया; क्योंकि उसने कमज़ोरों, गरीबों और मिसकीनों के हुक्क को रोक लिया, और ज़कात -जैसाकि इस्लाम से अपरिचित लोग गुमान करते हैं- कोई टैक्स या जुर्माना नहीं है जिसे इस्लामी राज्य अपने अवाम से वसूल करती है, क्योंकि अगर यह टैक्स होती तो इस्लामी राज्य के मातहत रहने वाले

सभी मुसलमानों और गैर-मुस्लिमों पर भी अनिवार्य होती, जबकि यह बात स्पष्ट है कि ज़कात की शर्तों में से एक शर्त मुसलमान होना भी है, अतः यह गैर-मुस्लिम पर अनिवार्य नहीं है। इस्लाम ने इसके अनिवार्य होने की कुछ शर्तें निर्धारित की हैं जो निम्नलिखित हैं :

१. निसाब का मालिक होना, इस प्रकार कि ज़कात अनिवार्य होने के लिए इस्लाम ने धन की जो सीमा निर्धारित की है उस मात्र में धन का वह मालिक हो, और वह ८५ ग्राम सोने की कीमत के बराबर धन का होना है।

२. मवेशियों, नक़दी, और तिजारत के सामान पर एक साल का बीतना, और जिस पर साल न बीते उस में ज़कात अनिवार्य नहीं है। जहाँ तक अनाज की बात है तो उनकी ज़कात उनके पक जाने पर है और फलों

की ज़कात उस वक़्त है जब वह पोढ़ (पकने के क़रीब) हो जाएं।

तथा शरीअत ने इसके हक़दार लोगों को भी निर्धारित कर दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है : “ख़ैरात (ज़कात) तो बस फकीरों का हक़ है और मिसकीनों का और उस (ज़कात) के कर्मचारियों का और जिनके दिल परचाये जा रहे हों और गुलाम के आज़ाद करने में और कर्ज़दारों के लिए और अल्लाह की राह (जिहाद) में और मुसाफ़िरों के लिए, ये हुकूक़ अल्लाह की तरफ से मुक़रर किए हुए हैं और अल्लाह तआला बड़ा जानकार हिकमत वाला है।” (सूरतुत्तौबा :६०)

इसकी मात्रा मूल धन का अढ़ाई प्रतिशत (2.5%) है, इस्लाम का इसे अनिवार्य करने का उद्देश्य समाज से गरीबी का उन्मूलन और उस से निष्कर्षित होने वाले चोरी, हत्या, और इज़्ज़त व आबरू पर आक्रमण जैसे खतरों से निबटना, और मुहताजों और वंचित फकीरों

और मिसकीनों की ज़रूरतों की पूर्ति करके मुसलमानों के बीच सामाजिक समतावाद की आत्मा को जीवित करना है। तथा ज़कात और टैक्स के बीच अन्तर यह है कि ज़कात को मुसलमान दिल की खुशी के साथ निकालता है, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, केवल उसका मोमिन मन ही उसके ऊपर निरीक्षक होता है, जो उसके अनिवार्य होने पर विश्वास रखता है। इसी तरह स्वयं ज़कात का नाम ही इस बात का पता देता है कि उसके अन्दर मन की पवित्रता और उसे बखीली और कंजूसी और लालच की बुरी आदत से پاک करना, तथा उसके दिल को दुनिया की महब्बत और उसकी शह्वतों में डूबने से पवित्र करना है जिसके परिणाम स्वरूप आदमी अपने फकीर व मिसकीन भाईयों की आवश्यकताओं को भूल जाता है, अल्लाह तआला का फरमान है : “और जो लोग

अपने नफ्स की कंजूसी (लालच) से सुरक्षित रखे गये वही लोग कामयाब हैं।” (सूरतुत्तगाबुन : 9६)

इसी तरह फकीरों, मिसकीनों के दिलों को मालादारों के प्रति अदावत, कीना-कपट और द्वेष से पाक व साफ करना है, जब वह देखते हैं कि मालदार लोग अपने मालों के अन्दर अल्लाह के वाजिब किये हुए हुकूक को निकालते हैं और उन पर खर्च करते हैं और उनके साथ भलाई के साथ पेश आते हैं और उनका ध्यान रखते हैं।

इस्लामी शरीअत ने ज़कात रोक लेने से सावधान किया है, अल्लाह तआला का फरमान है : “और जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फज़ल (व करम) से कुछ दिया है (और फिर) बुख़ल करते हैं वह हरगिज़ इस ख़्याल में न रहें कि यह उनके लिए (कुछ) बेहतर होगा बल्कि यह उनके हक़ में बदतर है क्योंकि वो जिस (माल) का बुख़ल करते हैं अनक़रीब ही क़ियामत के दिन उसका तौक़

बनाकर उनके गले में पहनाया जाएगा।” (सूरत आल इमरान : 9८०)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरामन है: “जो भी सोना और चाँदी वाला उनमें से उनका हक (ज़कात) नहीं निकालता है, क़ियामत के दिन वो (सोना और चाँदी ) आग की प्लेटें (तख़्तियाँ) बनाई जायेंगीं, और उन्हें जहन्नम की आग में तपाया जाये गा, फिर उनसे उसके पहलू, पेशानी और पीठ को दागा जायेगा, जब जब वह ठंडी हो जायेंगीं उन्हें दुबारा गरमाया जायेगा, यह एक ऐसे दिन में होगा जिसकी मात्रा पचास हज़ार साल होगी, यहाँ तक कि बन्दों के बीच फैसला कर दिया जाए गा, फिर उसे जन्नत या जहन्नम का रास्ता दिखा दिया जाए गा।” (सहीह मुस्लिम २/६८० हदीस नं.: ६८७)



## चौथा स्तम्भ : रमजान का रोज़ा :

साल में एक महीना है जिसका मुसलमान रोज़ा रखते हैं, यानी अल्लाह तआला की इताअत करते हुए रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों जैसे कि खाने, पीने, बीवी से सम्भोग करने से, फ़ज़्र उदय होने के समय से लेकर सूरज डूबने तक रूके रहते हैं, रोज़ा इस्लाम में कोई नयी चीज़ नहीं है, अल्लाह तआला का फरमान है :

“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम सयंम और भय अनुभव करो।  
(सूरतुल बकरा: १८३)

रोज़े का उद्देश्य रोज़ा तोड़ने वाली भौतिक चीज़ों से मात्र रूकना नहीं है बल्कि रोज़ा तोड़ने वाली आध्यात्मिक चीज़ों जैसे झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी, धोखा, फरेब, दुर्वचन, और इस तरह के अन्य घृणित कृत्यों से भी रूकना आवश्यक है, ज्ञात रहे कि इन बुरी चीज़ों का छोड़ना मुसलमान पर

रमज़ान में और रमज़ान के अतिरिक्त दिनों में भी अनिवार्य है, लेकिन रमज़ान में इनका छोड़ना और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “जो व्यक्ति झूठ बात कहने और झूठ पर अमल करने और मूर्खता से न बचे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग कर दे।” (सहीह बुखारी ५/२२५१ हदीस नं.:५७१०)

रोज़ा नफ़्स और उसकी शह्वतों और इच्छाओं के बीच एक संघर्ष है जो मुसलमान के नफ़्स को बुरे कथन और बुर कर्म से बाज़ रखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है : “इब्ने आदम वह का हर अमल उसी के लिए है सिवाय रोज़ा के, वह मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूँ गा, रोज़ा (गुनाहों से) ढाल है, और जब तुम में से किसी के रोज़ा का दिन हो तो वह अश्लील बातें न करे, शोर गुल न कर, अगर उसे

कोई बुरा-भला कहे (गाली दे) या लड़ाई झगड़ा करे, तो उस से कह दे : मैं रोज़े से हूँ, उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है रोज़े दार के मुँह की बू अल्लाह के निकट कस्तूरी की खुशबू से भी अधिक अच्छी है, रोज़े दार के लिए दो खुशियों के अवसर हैं जिन पर उसे प्रसन्नता होती है, जब वह रोज़ा खोलता है तो उसे खुशी होती है और जब वह अपने रब से मिलेगा तो अपने रोज़े के कारण उसे खुशी का अनुभव होगा। ”  
(सहीह बुखारी २/६७३ हदीस नं.:१८०५)

रोज़े के द्वारा मुसलमान अपने मुहताज, वंचित और ज़रूरतमंद भाईयों; मिसकीनों और फकीरों की ज़रूरतों को महसूस करता है, फिर उनके हकूक की अदायगी, और उनके हालात के जानने और उनकी खबरगीरी करने पर ध्यान देता है।

## पांचवाँ स्तम्भ : हज्ज

विशिष्ट समय में विशिष्ट स्थानों पर विशिष्ट कामों की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के घर जाने को 'हज्ज' कहते हैं। यह खूबन हर आक़िल व बालिग़ (बुद्धिमान और व्यस्क) मुसलमान पर चाहे वह पुरुष हो या स्त्री उम्र में एक बार अदा करना अनिवार्य है, इस शर्त के साथ कि वह शारीरिक और आर्थिक तौर पर समर्थ हो। जो आदमी ऐसी बीमारी का शिकार हो जिस से स्वस्थ होने की आशा न हो जो हज्ज की अदायगी में रूकावट हो और वह मालदार हो तो अपनी तरफ से हज्ज करने के लिए किसी को वकील (प्रतिनिधि) बनाये गा, इसी तरह जो आदमी फकीर है और उसके पास उसकी अपनी आवश्यकताओं और अपने मातहत लोगों की आवश्यकताओं से अधिक धन न हो तो उस से हज्ज साक़ित (समाप्त) हो

जाये गा, इसलिए कि अल्लाह ताअला का फरमान है : “अल्लाह तआला ने उन लोगों पर जो उस तक पहुँचने का सामर्थ्य रखते हैं इस घर का हज्ज करना अनिवार्य कर दिया है, और जो कोई कुफ्र करे (न माने) तो अल्लाह तआला (उस से बल्कि) सर्व संसार से बेनियाज़ है।” (सूरत आल-इम्रान:६७)

हज्ज सब से बड़ा इस्लामी जमावड़ा है जिस में हर जगह के मुसलमान एक ही स्थान पर एक ही निश्चित समय में एकत्र होते हैं और एक ही प्रमेश्वर को पुकारते हैं, एक ही पोशाक पहने होते हैं, एक ही हज्ज के कार्य कर रहे होते हैं, और एक ही शब्द को दोहरा रहे होते हैं : (लब्बैका, अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैका ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्ने'मता लका वल मुल्क, ला शरीका लक) यानी ऐ अल्लाह! हम इस स्थान पर तेरे बुलावे को स्वीकार करते हुए, तेरी प्रसन्नता की

लालच में और तेरी वृद्धानियत का इकरार करते हुए आये हैं, और यह कि तू ही इबादत का हकदार है तेरे सिवा कोई इबादत का पात्र नहीं। इसमें शरीफ और तुच्छ, काले और गोरे, अरबी और अजमी के बीच कोई अन्तर नहीं होता, सभी अल्लाह के सामने बराबर होते हैं, उनके बीच केवल तक्वा (संयम और परहेज़गारी) के सिवाय किसी और आधार पर कोई फर्क नहीं होता, यह केवल मुसलमानों के बीच भाईचारा पर बल देने और उनकी कामनाओं और भावनाओं को एक रूप बनाने के लिए है।

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)\*

\* [atazia75@gmail.com](mailto:atazia75@gmail.com)